जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स सेल की बैठक की कार्यवृत्त, जनपद–बरेली।

दिनांक 08.02.2016 को क्वालिटी एश्योरेन्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली द्वारा की गयी बैठक में निम्न प्रतिभागियों का विवरण निम्नवत् है :–

1–डा0 प्रवीन जहां, मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, म0प्र0जि0सं0चि0, बरेली।
2–डा0 अलका शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय बरेली।
3–डा0 मनोहर लाल, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (भण्डार), बरेली।
4–डा0 आलोक चन्द्रा, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रशासन), बरेली।
5–डा0 एस0एस0 चौहान, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
6–डा0 रमेश चन्द्रा, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
7–डा0 नीलम आर्या,वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला महिला चिकित्सालय, बरेली।
8– डा0 एस0के0 सागर, बाल रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय बरेली।
9–श्री शरद जौहरी, सहायक शेध आकिरी, बरेली।
10–श्री ब्रजलाल वर्मा, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0।
11–श्री जितेन्द्र सिंह, जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक।
12–श्री एस0पी0 सिंह, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी।
13–श्री अरूण पाण्डेय यू0पी0टी0एस0यू0।
14– श्री अनूप कुमार, एच0एम0आई0एस0 ऑपरेटर, कार्यालय अद्योहस्ताक्षरी, बरेली।

बैठक में सर्वप्रथम क्वालिटी एश्योरेन्स से सम्बन्धित बिन्दुओं पर चर्चा की गयी। जिला महिला चिकित्सालय बरेली तथा महाराणा प्रताप संयुक्त चिकित्सालय बरेली में की गयी ईन्टरनल असिसमेन्ट कर सूचना राज्य मुख्यालय को भेजी जा चुकी है। समस्त स्वास्थ्य इकाईयों से प्राप्त चेकलिस्टों के विश्लेषण के आधार पर सुदृड़ीकरण करने के निर्देश दिये गये। बैठक में यह भी कहा गया कि स्वच्छता सफाई व्यवस्था, उपकरणों का रख–रखाव,.सपोर्ट सेवायें, वायों बेस्ट मैनेजमेन्ट, संकमण नियन्त्रण, हाईजिन प्रमोशन आदि गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाये। साथ ही साथ महिला और पुरूष नसबन्दी के असफल केसों का यथा शीघ्र फार्म भरवाकर निस्तारण किया जाये। वर्तमान में हौसला साझेदारी कार्यकम के अन्तर्गत निजी चिकित्सालयों को एकीडेट किया जा रहा है। समस्त प्रा0स्वा0केन्द्र/सामु0स्वा0केन्द्रों के प्रभारियों को निर्देश दिये गये कि शिविर आयोजन दिवस पर ओ0टी0 एवं वार्ड में मानक के अनुसार इन्फेक्सन प्रवेन्सन पर विशेष ध्यान दिया जाये। इन्डेमिनिटी स्कीम के तहत असफल नसबन्दी होने की दशा में सभी को दावा प्रपत्र का फार्मेट उपलब्ध कराते हुये निर्देशित किया गया कि नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण के 90 दिन के अन्दर दावा प्रपत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

असफल नसबन्दी सम्बन्धी प्राप्त दावों की जांच की गयी। सामु0स्वा0के0 बहेड़ी एवं प्रा0स्वा0के0 रामनगर पर नसबन्दी उपरान्त मृत्यु सम्बन्धी प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। राज्य स्तर से प्राप्त ऐफिडेविड की भाषा तथा अन्य प्रपत्रों को सम्बन्धित को भेजने के निर्देश दिये गये ताकि प्रपत्रों को पूर्ण कर राज्य स्तर को प्रेषित किये जा सके।

ह0 मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
बरेली।

प्रतिलिपि –

1– अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, बरेली मण्डल, बरेली।
2– मण्डलीय कार्यकम प्रबन्धक, एन0एच0एम0 बरेली।

ह0 मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
बरेली।